पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2014 की विविध अपील सं.- 454

==========

1. सीता देवी स्वर्गीय साधु साहनी की पत्नी जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष थी।

2. मनोज कुमार साहनी स्वर्गीय साधु शानी के पुत्र जिनकी आयु लगभग 20 वर्ष है, ग्राम के निवासी-तरवा मझौलिया, पी. ओ.-चोचाही चापड़ा, थाना-पारो, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

.....अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

बनाम

1. दिवाकर प्रसाद शाही और एक अन्य, बिशेश्वर प्र. शाही, ग्राम के निवासी-चंदुआ, थाना-करहानी, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

2. प्रभागीय प्रबंधक बीमा कंपनी राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, पी. एन. टी. कॉलोनी के पास, मिठानपुरा, मुज़फ़्फ़रपुर

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

मोटर वाहन दुर्घटना एक्ट - 1988 की धारा - 173 के तहत यह विविध अपील, - मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए दायर की गई है - 11/04/2014 के निर्णय और 29/04/2014 की अवार्ड के तहत, जो कि छठे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित किया गया था, जिसमें 1,72,750 रुपये मुआवजे के साथ 6% ब्याज का आदेश दिया गया था।

न्यायाधिकरण ने निर्धारित किया कि मोटरसाइकिल और उसके चालक द्वारा लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना हुई - मृतक, सबू साहनी, का भी अपनी खुद की लापरवाही से दुर्घटना में 50% योगदान दिया गया है - इस प्रकार मृतक की लापरवाही के भी दुर्घटना मे योगदान के कारण मुआवजे की राशि 50% घटा दी गई।

अपीलकर्ताओं ने विनती किया कि हालांकि बीमा कंपनी ने यह दलील दिया कि मृतक भी लापरवाह था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मृतक की योगदान देने वाली लापरवाही को स्थापित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट में केवल अपराधी मोटरसाइकिल के चालक के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किया गया है, लेकिन मृतक की योगदान देने वाली लापरवाही का कोई दोष नहीं पाया गया है उक्त दुर्घटना में।

अभिनिर्धारित: योगदान देने वाली लापरवाही को सबूत के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए। इसे केवल लापरवाह कार्यों के आधार पर मृतक की ओर से अनुमानित नहीं किया जा सकता। इसलिए, मृतक की योगदान देने वाली लापरवाही के लिए मुआवजे की 50% कटौती उचित नहीं है और इसे रद्द किया जाता है।

स्वीकृत तथ्यों के आधार पर, इस कोर्ट ने मुआवजे की राशि का पुन: मूल्यांकन किया है, जो कुल 4,90,000 रुपये (चार लाख नब्बे हजार रुपये केवल) के बराबर है। अपीलकर्ताओं को उपरोक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार है।

बीमा कंपनी को पहले से भुगतान की गई मुआवजे की राशि को 4,90,000 रुपये में से घटाकर, शेष राशि को अपीलकर्ता को 6% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ब्याज की गणना आवेदन की तारीख से की जाएगी, जब तक कि पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता।

विविध अपील स्वीकृत की जाती है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2014 की विविध अपील सं.- 454

==========

1. सीता देवी स्वर्गीय साधु साहनी की पत्नी जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष थी।

2. मनोज कुमार साहनी स्वर्गीय साधु शानी के पुत्र जिनकी आयु लगभग 20 वर्ष है, ग्राम के निवासी-तरवा मझौलिया, पी. ओ.-चोचाही चापड़ा, थाना-पारो, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

.....अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

बनाम

1. दिवाकर प्रसाद शाही और एक अन्य, बिशेश्वर प्र. शाही, ग्राम के निवासी-चंदुआ, थाना-करहानी, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

2. प्रभागीय प्रबंधक बीमा कंपनी राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, पी. एन. टी. कॉलोनी के पास, मिठानपुरा, मुज़फ़्फ़रपुर

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर सेः श्री सुनिल कुमार पांडे, अधिवक्ता

प्रतिवादी सं.- 2 की ओर सेः श्री अभय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

==========

कोरम (समक्ष): माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. कुमार

सी.ए.भी. निर्णय

दिनांक: 03-09-2019

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. यह विविध अपील एम. वी. अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत दायर की गई है, जिसमें 6वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर (जिसे इसके बाद न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 2011 के दावा मामला संख्या 287 में पारित दिनांक 29.04.2014 के फैसले और दिनांक 11.04.2014 के फैसले द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए रु. 1,72,750-2014 का मुआवजा 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दिया गया है।

3. संक्षेप में कहा गया है कि दावे के आवेदन में दिए गए मामले के तथ्य यह हैं कि 03.08.2011 को लगभग 8.30 बजे शाम को जब दावेदार साधु साहनी का पति अपने बथान के सामने सड़क पार कर रहा था, एक मोटरसाइकिल जिस पर नंबर बीआर 06 के 6409 था। पिच रोड पर उनके खिलाफ टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें एस.के.एम.सी. अस्पताल, मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां उन्होंने 11.08.2011 को दम तोड़ दिया।

4. उक्त घटना के संबंध में 2011 का पारो थाना मामला संख्या 219 मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ दर्ज किया गया था और जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले को सही पाया और मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

5. मृतक साधु साहनी की आयु लगभग 45 वर्ष थी और उनकी मासिक आय रु. 6000/- मत्स्य पालन के व्यवसाय से थी। उल्लंघन करने वाली मोटरसाइकिल का बीमा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ किया गया था। दावेदार विधवा और मृतक का पुत्र है।

6. विरोधी पक्षों को सूचना जारी किए गए थे। वाहन के मालिक, ओ. पी. नंबर 1 थे लेकिन वे न तो पेश हुए हैं और न ही मामले का विरोध किया है। हालांकि, ओ. पी. नंबर 2-बीमा कंपनी ने पेश हुए एवं देनदार अपीलार्थियों का मुआवजा उनके द्वारा दाखिल लिखित बयान द्वारा दावे को इंकार किया।

7. पक्षकारों के अभिवचन के आधार पर, न्यायाधिकरण अपने निर्धारण के लिए पाँच मुद्दों का गठन किया।

8. दावेदार-अपीलार्थियों की ओर से छह गवाहों से पूछताछ की गई।

9. उनके दावे के मामले के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए, जिन्हें न्यायाधिकरण द्वारा प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रदर्श-1 एफ. आई. आर. है, प्रदर्श-2 पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र है, प्रदर्श-3 मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है।

10. विरोधी पक्षों की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

11. न्यायाधिकरण ने माना है कि मोटरसाइकिल की अविवेकी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई जिसमें दावेदार सं. 1 का पति की मौत हो गई। न्यायाधिकरण ने माना है कि मृतक साधु साहनी ने अपनी लापरवाही से दुर्घटना में 50 प्रतिशत का योगदान दिया है क्योंकि मृतक की अंशदायी लापरवाही के लिए मुआवजे में 50 प्रतिशत की कमी आई है। न्यायाधिकरण ने मृतक की मृत्यु की तारीख को आयु 45 वर्ष और 14 वर्ष की आयु को उचित गुणक पाया है। उनकी मासिक आय का अनुमान रु. 3000

प्रति माह, हालांकि, भविष्य की संभावना के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। न्यायाधिकरण ने मृतक की आय में से उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती की है और पाया है कि निर्भरता का नुकसान रु. 24, 000/- है और रु. 3,36,000-मुआवजे के रूप में और उसके बाद पारंपरिक शीर्ष के तहत संपत्ति के नुकसान, अंतिम संस्कार के खर्च और संघ के नुकसान के लिए रु. 9000/- मूल्यांकित किया है और कुल मुआवजे की राशि रु. 3,45,500- यथोचित और उचित मुआवजे की राशि निर्धारित की है। हालांकि, अंशदायी लापरवाही के कारण, 50 प्रतिशत राशि कम कर दी गई है और न्यायाधिकरण ने पाया है कि रु. 1,72,750-क्षतिपूर्ति राशि के रूप में जिसके लिए दावेदार हकदार हैं और चूंकि वाहन का राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ बीमा किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण ने दावेदारों को प्रति वर्ष 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है और जिससे पीड़ित दावेदारों की ओर से वर्तमान अपील दायर की गई है।

12. हालाँकि अपने लिखित बयान में, बीमा कंपनी ने दलील दी है कि मृतक भी लापरवाही कर रहा था और उसने अपने लापरवाही के कार्य के लिए दुर्घटना में योगदान दिया था, लेकिन विरोधी पक्ष सं. 2 द्वारा मृतक की ओर से अंशदायी लापरवाही स्थापित करने के लिए कोई सबूत दिया गया है। पुलिस ने भी जाँच के बाद दोषी मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त दुर्घटना में मृतक की ओर से कोई गलती नहीं पाई है।

13. अंशदायी लापरवाही को साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और इसका अनुमान, यहां तक कि मृतक की ओर से कोई लापरवाही भी की गई हो तो नही लगाया जा सकता है। विरोधी पक्षों को उक्त लापरवाहीपूर्ण कार्य स्थापित करने की आवश्यकता है जो दुर्घटना में योगदान देता है, अतः कि मृतक की अंशदायी लापरवाही के

लिए मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत की कटौती टिकाऊ नहीं है और तदनुसार अलग रखा जाता है।

14. स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है जिसके लिए दावेदार हकदार हैं।

वार्षिक आय -	**रु. 36,000/-**
भविष्य की संभावनाएँ (25 प्रतिशत)	**रु. 9000/-**
कुल आय	**रु. 45,000/-**
व्यक्तिगत खर्च (1/3)	**रु. 15,000/-**
निर्भरता का नुकसान	**रु. 30,000/-**
गुणक-	**14**
मुआवजे की राशि	**रु. 4,20,000/-**
पारंपरिक शीर्ष	**रु. 70,000/-**
	कुल = रु. 4,90,000/-
	(चार लाख नब्बे हजार)।

15. दावेदार-अपीलकर्ता रु. 4,90,000-(चार लाख नब्बे हजार) मुआवजे के रुप में हकदार है। बीमा कंपनी दावेदार-अपीलकर्ताओं को पहले से ही भुगतान की गई मुआवजे की राशि को रुपये से घटाने के बाद रु. 4,90,000-शेष राशि का भुगतान दावेदारों-अपीलार्थियों को आवेदन की तारीख से इसकी प्राप्ति तक शेष मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया जाता है।

16. विविध अपील की इस हद तक अनुमति है कि जैसा कि ऊपर बताया गया है।

इस मामले का एल. सी. आर. संबंधित अदालत को तुरंत वापस कर दिया जाए।

(एस. कुमार,न्यायमूर्ति)

रंजन/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।